आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आगरा,जनपद :मथुरा,तहसील :महावन
वाद संख्या :-2065/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202101500502065
शंकर लाल आदि बनाम उत्तर प्रदेश
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मौजा– हतौड़ा

आदेश

उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अर्न्तगत शंकरलाल,सोनू,शालू पुत्रगण राजन सिंह व बवीता उर्फ सीता पुत्री राजन सिंह व श्रीमती भगवती देवी पत्नी राजनसिंह निवासीगण छौली तहसील महावन जिला मथुरा द्वारा दिनांक 21.6.2021 को एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी मौजा हतोड़ा के खाता संख्या 158 खसरा संख्या 214 रकवा 0.947 हे0 मे से रकबा 0.498 है0 स्थित मौजा हतौड़ा की अकृषिक / आबादी घोषित कराना चाहते है। यह कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि कुक्कुट पालन मत्स्य पालन, वागवानी पालन आदि के प्रयोजन मे नही लाई जा रही है । प्रश्नगत भूमि आबादी के प्रयोग में लायी जा रही है एवं मौके पर बाउण्ड्रीवाल है और कोई फसल नही पैदा की जा रही है। अन्त में प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जावें ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच तहसीलदार महावन से कराई गई । तहसीलदार महावन ने अपनी जांच आख्या दिनांक 21.6.2021 के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रार्थी मौजा हतौड़ा के खाता संख्या 158 खसरा संख्या 214 रकवा 0.947 हे0 मे से रकबा 0.498 है0 लगान 60ख पर संकमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज है । प्रार्थी उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित कराना चाहता है। यह कि उक्त भूमि कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वागवानी पालन आदि के प्रयोजन मे नही लाई जा रही है । यह कि प्रश्नगत भूमि मौके पर आवादी के प्रयोग में लायी जा रही है । यह कि प्रश्नगत भूमि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण एव आवास एव विकास परिषद या अन्य शासकीय विभाग द्वारा व्यवस्था एव अन्य प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किये जाने हेतु प्रस्तावित नही है। प्रश्नगत भूमि अकृषिक के रूप मे आ रही है । फोटोग्राफ संलग्न है । प्रार्थी उपरोक्त भूमि का 01 प्रतिशत जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित रेट सूची के अनुसार जमा करने एव 01 प्रतिशत न्याय शुल्क के रूप मे स्टाम्प दाखिल करने हेतु तैयार है । अन्त मे उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किए जाने हेतु जांच आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

आवेदक /प्रार्थी द्वारा खाता संख्या 158 खसरा संख्या 214 रकवा 0.947 हे0 मे से रकबा 0.498 है0 पर जिलाधिकारी मथुरा की सर्किल रेट सूची के अनुसार 4980000/प्रति0 है0 की मालियत पर 1 प्रतिशत 49800– रू0 को लेखाशीर्षक 0029 मे चालान संख्या 0700/01/G/300004 दिनांक [illegible].07.2021 को जमा किया जा चुका है एवं इतनी ही धनराशि के जनरल स्टाम्प भी दाखिल किये गये जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है।

अतः प्रार्थी के स्वयं के शपथ पत्र तथा तहसीलदार महावन की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक 25.6.2021 के आधार पर उ0प्र0राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80 के अर्न्तगत उक्त भूमि को निम्न प्रारूप पर इस शर्त के साथ अकृषिक घोषित किया जाता है कि यदि उक्त भूमि पर भविष्य मे कृषि कार्य होता पाया जाता है तो कृषि भूमि मानकर भू–राजस्व इत्यादि योजित कर दिया जायेगा तथा मथुरा –वृन्दावन विकास प्राधिकरण के पूर्वतः नियमों/निर्देशों एवं अन्य किसी विधिक प्राविधानों के उल्लघंन की स्थिति में यह उद्घोषणा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

1– किस धारा के अन्तर्गत अकृषिक घोषित की जा रही है ।	–	धारा 80 राजस्व संहिता 2006
2– भूमि किस ग्राम मे स्थित है	–	हतोड़ा
3– भूमि का विवरण	–	खाता संख्या 158 खसरा संख्या 214 रकवा 0.947 हे0 मे से रकबा 0.498 है0
4– भूराजस्व /	–	60ख
5–भूमिधर का नाम व पता	–	शंकरलाल,सोनू,शालू पुत्रगण राजन सिंह व बवीता उर्फ सीता पुत्री राजन सिंह व श्रीमती भगवती देवी पत्नी राजनसिंह निवासीगण छौली तहसील महावन जिला मथुरा ।

तद्नुसार राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद हेतु तहसीलदार महावन को परवाना अमलदरामद भेजा जाये व आदेश की एक प्रति उप निबन्धक मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। तहसीलदार महावन की रिपोर्ट आदेश का अंग रहेगी। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे ।

दिनांक:– 12.7.2021

12.7.2021

(कृष्णा नन्द तिवारी)
उप जिलाधिकारी,महावन,
मथुरा ।